कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 611 /दो—11—5/2026 नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

श्री कुनाल कलौसिया, भृत्य नजारत अनुभाग, पिपरिया का दिनांक 04.05.2026 से 19.05.2026 तक कुल 16 दिवस के अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 7 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

16.6.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 2535/दो—11—5/2026 नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्री कुनाल कलौसिया, भृत्य को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

16.6.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)